

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना जिला-पन्ना म.प्र.

क्रमांक- / 2023

पन्ना, दिनांक 21.09.2023

विविध आदेश

मैं राजेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना, द.प्र.सं. की धारा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये **माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2023** के अवकाश दिवसों के लिये **जिला मुख्यालय पन्ना एवं तहसील मुख्यालयों पवई व अजयगढ़** में आकस्मिक न्यायिक कार्य के निष्पादन हेतु निम्नानुसार रिमाण्ड संबंधी व्यवस्था करता हूँ-

मुख्यालय पन्ना के संबंध में रिमाण्ड ड्यूटी-चार्ट

क्र.	नाम दण्डाधिकारी	अवकाश दिवस माह अक्टूबर-2023	अवकाश दिवस माह नवम्बर-2023
01.	श्री शिवराज सिंह गवली जे.एम.एफ.सी. पन्ना	21, 22	5, 19
02.	श्री मोहित बड़के, जे.एम.एफ.सी. पन्ना	1, 2	10, 11
03.	श्रीमती निधि शाक्यवार, जे.एम.एफ.सी. पन्ना	23, 24	26, 27, 18
04.	श्री प्रीतम शाह, जे.एम.एफ.सी. पन्ना	8, 29, 15	12, 13, 14, 15

तहसील मुख्यालय पवई के संबंध में रिमाण्ड ड्यूटी-चार्ट

क्र.	नाम दण्डाधिकारी	अवकाश दिवस माह अक्टूबर-2023	अवकाश दिवस माह नवम्बर-2023
01.	श्री राम सिंह बघेल, जे.एम.एफ.सी. पवई	2, 21, 22, 23, 24,	5, 18, 19, 26, 27
02.	श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज, जे.एम.एफ.सी. पवई	1, 8, 15, 29	10, 11, 12, 13, 14, 15

तहसील मुख्यालय अजयगढ़ के संबंध में रिमाण्ड ड्यूटी-चार्ट

क्र.	नाम दण्डाधिकारी	अवकाश दिवस माह अक्टूबर-2023	अवकाश दिवस माह नवम्बर-2023
01.	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. अजयगढ़	माह अक्टूबर के समस्त सार्वजनिक अवकाश	माह नवम्बर के समस्त सार्वजनिक अवकाश

नोट:-

- कॉलम नंबर 01 में उल्लिखित न्यायिक दण्डाधिकारी कॉलम नंबर 02 में उल्लेखित अवकाश दिवस में मुख्यालय पन्ना एवं तहसील मुख्यालयों में दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक अपने स्टाफ के साथ उपस्थित होकर अवकाश दिवस में प्रस्तुत होने वाले आकस्मिक दायित्व कार्य का निष्पादन करेंगे।
- सुश्री पलक श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ के अवकाश पर रहने पर **माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2023** के सार्वजनिक अवकाशों में उनके न्यायालय से संबंधित समस्त रिमाण्ड संबंधी कार्यवाही मुख्यालय पन्ना में नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जायेगी।

3. यदि माह अक्टूबर, 2023 में अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित होते हैं, तो **श्री प्रीतम शाह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी। यदि माह नवम्बर 2023 में अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित होते हैं तो **श्रीमती निधि शाक्यवार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी।

5. तहसील मुख्यालय पवई में माह अक्टूबर 2023 में अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित होते हैं तो **श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी एवं यदि माह नवम्बर 2023 में अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित होते हैं तो **श्री रामसिंह बघेल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी।

7. उपरोक्त अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी आपातकालीन दशा को छोड़कर परिवर्तित नहीं की जावेगी एवं आपातकालीन स्थिति में रिमाण्ड मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय के प्रभार वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट से लिखित में सहमति प्राप्त कर तत्संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना को लिखित में सूचित कर एवं अनुमति प्राप्त कर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे अथवा आपातकालीन दशा में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तत्संबंध में मौखिक/लिखित निर्देश दिये जाने पर कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

8. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण इस समयावधि में होता है, तब उनके स्थान पर कार्यभार गृहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी इसी कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी।

9. माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के द्वारा जारी आदेश के फलस्वरूप यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त रहती है, तब निर्धारित कार्यक्रम अनुसार श्री **शिवराज सिंह गवली**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी। इसी प्रकार पवई मुख्यालय पर जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उपलब्ध रहेंगे, उनके द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

(राजेन्द्र सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना
जिला-पन्ना म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक— /2023
प्रतिलिपि:-

पन्ना, दिनांक 21.09.2023

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. श्री शिवराज सिंह गवली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
03. श्री मोहित बड़के, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
04. श्रीमती निधि शाक्यवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
05. श्री प्रीतम शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
06. श्री राम सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई की ओर सूचनार्थ।
07. श्रीमती हिमांशी ठाकुरभारद्वाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई की ओर सूचनार्थ।
08. सुश्री पलक श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ।
09. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
10. जे.एस.ए. पन्ना को सीआईएस पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना
जिला-पन्ना म.प्र.